न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 70 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 170

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
प्रभुराम पुत्र जेठाराम, जाति– जागीड़ ब्राह्मण, निवासी–पथमेड़ा तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	कानाराम पुत्र जेठाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 02.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जोधाराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 लगायत 9 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 28.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 तीनो ही सगे भाई है तथा स्व. जेठाराम पुत्र देवाराम जांगीड़ ब्राह्म्ण, निवासी–पथमेड़ा के पुत्रगण है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्रगण है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का परिवार हिन्दू विधि से शासित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की संयुक्त पैतृक सपंति की आराजी खसरा नंबर 1034 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1082 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1032 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1033 रकबा 8.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1033 / 1491 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1050 रकबा 0.51 हैक्टेय, खसरा नंबर 1051 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1052 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1053 रकबा 6.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1048 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1049 रकबा 4.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1054 / 1436 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल रकबा 23.65 हैक्टेयर के सरहद मौजा पथमेड़ा पटवार हल्का नानोल तहसील सांचौर में आये हुए है जो पुराने खेत खसरा नंबर 265, 266, 267, 268, 273, 274, 275 से नवसृजित हुए है। उपरोक्त आराजी को प्रार्थना–पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी कहा जायेगा। नकल वर्तमान जमाबंदी व खतौनी बंदोबस्त प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 की संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति है जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा व 1 / 3 हिस्सा अप्रार्थी 2, 3, 4 का है। वादग्रस्त आराजी का कभी तक विधिवत बंटवाड़ा नहीं किया गया है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिजा जेठा पुत्र देवा को बरगला कर एक विधिविरूद्व इन्द्राज भू–प्रबन्ध विभाग के सहायक भू–प्रबन्ध को इस प्रकार का बंटवाड़ा करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 ने द्वितीय पैमाईश अधिकारियों से मिलावट कर प्रार्थी व [illegible] के पिता श्री जेठा पुत्र देवा को अपने प्रभाव में लेकर उन्हें बरगला कर 1 / 3, 1 / [illegible] अनुसार आराजी करवाने का झांसा देकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1 / 3 [illegible] की नियत से सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी के समक्ष एक [illegible] अप्रार्थी ने अपने नाम 1 / 3 हिस्सा अनुसार विधिक हकों की भूमि के बजाय ज्याद[illegible] भूमि अपने नाम करवा [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 या उनके पिता को व द्वितीय भू–प्रबन्ध अधिकारियों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि सरहद मौजा पथमेड़ा पटवार हल्का नानोल तहसील सांचौर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

स्थित वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 1034 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1082 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1032 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1033 रकबा 8.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1033/1491 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1050 रकबा 0.51 हैक्टेय, खसरा नंबर 1051 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1052 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1053 रकबा 6.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1048 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1049 रकबा 4.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1054/1436 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल रकबा 23.65 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नही करे तथा न ही उक्त आराजी का बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण वगैरह करे तथा वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 ने ईकबालिया जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि माफिक इस्तदुआ प्रार्थी डिक्री जारी की जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:— आदेश :—

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा पथमेड़ा पटवार हल्का नानोल तहसील सांचोर के खेत खसरा नंबर 1034 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1082 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1032 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1033 रकबा 8.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1033/1491 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1050 रकबा 0.51 हैक्टेय, खसरा नंबर 1051 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1052 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1053 रकबा 6.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1048 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1049 रकबा 4.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1054/1436 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल रकबा 23.65 हैक्टेयर भूमि की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner